

4-1-19

पत्रावली पेस हुई। पत्रावली में वादी
सब वादी अधिवक्ता उपस्थित हैं।
पत्रावली में वादी सब वादी अधिवक्ता
को तीन-तीन बार आवाज लगाई
गई, फिर भी उपस्थित नहीं हुए।
पत्रावली में ऑफिस 9 निपस 3 के
तहत अदम हाजरी, कदम फेरनी में
वाद खारीज किया जाता है।
निष्पत्तियों ल्यापालर में सुनाया गया।
पत्रावली पेसल शुमार ही दर्ज नक्का
में कम होकर वास्तविक दफ्तार हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)